

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/3480

दिनांक: 20/07/11...


// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिचय 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : इंस्टीट्यूट ऑफ एलाईड साइंसेस एण्ड कम्प्यूटर एप्लीकेशन,
सिधौली रेल्वे स्टेशन के सामने, ग्वालियर

मनोनीत सदस्य : 1. श्रीमती कस्तूरी बाई बरेला, सदस्य कार्यपरिषद्
2. डॉ. संध्या भार्गव, शासकीय महाविद्यालय, शिवपुरी


उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।


अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य, इंस्टीट्यूट ऑफ एलाईड साइंसेस एण्ड कम्प्यूटर एप्लीकेशन, सिधौली रेल्वे स्टेशन के सामने, ग्वालियर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का टी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे साविधा हो।



गाम : सूनीवसिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-234) 768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 4207

दिनांक : 14/12/11

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड साइंसेज एण्ड कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन, सिधौली, ग्वालियर को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एस-सी. (बायोटेक, माइक्रोबायलॉजी, पेट्रोकेमिकल्स) बी.सी.ए., बी.बी.ए., बी.एस-सी. (बायोटेक, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री), बी.कॉम. तृतीय प्लेन/ कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन अति.वि., पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय समस्त पाठ्यक्रमों में आवश्यकतानुसार परिनियम 28(17) में शिक्षकों को नियुक्ति करे।
2. पुस्तकालय में प्रत्येक पाठ्यक्रम के 50-50 शीर्षक क्रय करे।
3. प्रयोगशालाओं में पाठ्यक्रमानुसार समस्त उपकरण रखें।
4. कम्प्यूटर लैब में लीगत सॉफ्टवेयर क्रय करे।
5. परिनियम 27-28 का पालन करे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड साइंसेज एण्ड कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन, सिधौली, ग्वालियर।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा.-कुलसचिव (सम्बद्धता)